न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/163** दायर दिनांक **13.06.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. बिमला पत्नी धर्मेन्द्र चौधरी, आयु–37वर्ष, जाति–जाट, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **27.07.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वर्तमान खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 12.10 बीघा वाकै शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुदरासन में अवस्थित है जिसकी खातेदारी वादीनी के नाम निम्नानुसार अंकित हैः–

बिमला पत्नी रामदेव चौधरी कौम जाट साकिन देह खातेदार, रहन ज.था.ग्रा. बैंक नूँवा।

वादीनी भूमि में एकमात्र खातेदार है तथा अन्य पक्षकार नहीं है। वादीनी अपने वाद के जरिये राज्य सरकार के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहती है। अतः यह वाद करने से पूर्व राज्य सरकार को दो माह की अवधि का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है मगर इन्द्राज दुरस्ती रिकॉर्ड व घोषणा खातेदारी के वाद में लैण्ड होल्डर तहसीलदार डीडवाना आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

बिनाय दावा वादीनी पटवारी हल्का सुदरासन से सत्य प्रतिलिपि लेने से उसमें वादीनी के पति का नाम गलत अंकित होने की जानकारी होने पर नकल खतौनी प्राप्त करने पर पैदा हुई।

प्रार्थना वादीनी है कि–

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वाद वर्णित खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 12.10 बीघा वाकै शरहद पायली पटवार क्षेत्र सुदरासन की खातेदारी इन्द्राज में वादीनी के पति का नाम रामदेव चौधरी जो कि सहवन से गलत दर्ज हुआ है, को दुरस्त किया जाकर बिमला पत्नी धर्मेन्द्र चौधरी कौम जाट साकिन पायली अंकित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 की प्रमाणित प्रतिलिपि, सरपंच ग्राम पंचायत बरड़वा पंचायत समिति द्वारा जारी प्रमाण–पत्र क्रमांक 266 दिनांक 11.06.2017 की छायाप्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी की PAN AREPC9396E की छायाप्रति, आधार कार्ड संख्या 4389 4163 0572 की छायाप्रति, वाद के संलग्न है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीनी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्ता वादीनी, वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादीनी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से वादीनी बिमला के पति का सही नाम "धर्मेन्द्र चौधरी" होना पुष्ट होता है। वादीनी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादीनी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादीनी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादीनी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017 / 163
दायर दिनांक 13.06.2017, निर्णय दिनांक 27.07.2017
बिमला बनाम् तहसीलदार।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 12.10 में वादीनी बिमला के पति का नाम वर्तमान में अंकन "रामदेव चौधरी" के स्थान पर "धर्मेन्द्र चौधरी" दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **27.07.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/163** दायर दिनांक **13.06.2017**

वादीनी		प्रतिवादी
1. बिमला पत्नी धर्मेन्द्र चौधरी, आयु–37वर्ष, जाति–जाट, निवासी–पायली, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरस्ती,
U/S 88 R.T. Act. एवं धारा 136 R.L.R. Act.

दिनांक **27.07.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पूरणसिंह बोहरा, अधिवक्ता, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद पायली में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 12.10 में वादीनी बिमला के पति का नाम वर्तमान में अंकन ''रामदेव चौधरी'' के स्थान पर ''धर्मेन्द्र चौधरी'' दुरस्त किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **27.07.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner